(c) and (d) A proposal to set up a 50 KW short wave transmitter at Leh has been included in the draft revised 6th Plan (1980—85) now under consideration. The implementation of the scheme will, however, depend upon the approval of the Plan, availability of resources, and relative priorities.

कानूनी सहायता के लिए दी गई निधि

1044. **श्री विलास मुत्तेमवार :**
श्री चित्त बसु :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोगों को कानूनी सहायता के लिए वर्ष 1978–79 तथा 1979–80 के लिए दी गई निधियों का वस्तुत: उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) लोगों को कानूनी सहायता देने से संबंधित आवश्यक विधेयक संसद् में कब तक पेश कर दिया जाएगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर): (क) वर्ष 1978–79 तथा 1979-80 के दौरान कानूनी सहायता के लिए बजट में केवल एक लाख रुपये के प्रतीक अनुदान की व्यवस्था थी । केन्द्रीय बजट में पहली बार ऐसी व्यवस्था की गई थी और इसका आशय यह दर्शित करना था कि सरकार ने कानूनी सहायता देने की आवश्यकता को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है । इस धन का व्यय नहीं किया जा सका क्योंकि यह आवश्यक समझा गया कि लोक धन को खर्च करने से पूर्व आवश्यक रक्षोपाय सहित कानूनी सहायता की एक उचित स्कीम तैयार कर ली जाए ।

(ख) इस संबंध में अभी यह बताना संभव नहीं है कि कानूनी सहायता से संबंधित विधान कब पुर:स्थापित किया जाएगा किन्तु कानूनी सहायता स्कीमें विधान के बिना भी क्रियान्वित की जा सकती हैं । यह उल्लेखनीय है कि व्यापक कानूनी सहायता स्कीमें विस्तार से तैयार करने और उन्हें क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिये उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री पी० एन० भगवती की अध्यक्षता में एक छोटी उच्च शक्ति प्राप्त समिति 26 सितम्बर, 1980 के संकल्प द्वारा गठित की गई है ।

Basis for filling vacancies in Engineers India Limited

1045. SHRI SUSHIL BHATTACHARYA: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) what are the basis for filling the vacancies in Engineers India Limited at various levels; and

(b) whether BPE guidelines have been followed while recruiting people?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI DALBIR SINGH): (a) Positions at various levels in the Company are filled up by direct recruitment or by promotion or by deputation from Government or Public Sector Undertakings. Direct recruitment is made from:—

(i) Persons who apply in response to the Company's advertisements in newspapers or otherwise.

(ii) Persons sponsored by the Employment Exchanges, Bureau of Public Enterprises and Surplus Cell of DGET.

(iii) Persons borne on the scientists' pool of the CSIR.

(iv) Surplus staff of the Company or of other Public Sector Undertakings/Government Departments.

(v) Released Defence Services Personnel.